भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक विभाग
उत्तराखण्ड परिमण्डल
देहरादून–248001

डाकघर की सुकन्या समृद्धि बचत योजना में खाता खोलकर वर्ष 2018–19 की प्रथम तिमाही में 8.1 प्रतिशत सुनिश्चित ब्याज पायें।

योजना की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं-

- यह खाता नाबालिग बालिका के संरक्षक द्वारा खोला जा सकता है ।
- एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के ही खाते खोले जा सकते हैं ।
- खाता 10 वर्ष तक की बालिका के नाम से ही खोला जा सकता है ।
- जमाकर्ता (अभिभावक / संरक्षक) के **"KYC"** अभिलेख पत्र व खाता धारक (कन्या) का जन्म–प्रमाण पत्र खाता खुलवाने के लिए आवश्यक है ।
- एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹ 1,000 / – (व ₹ 100 / – के गुणांक में) तथा अधिकतम् ₹ 1,50,000 / – जमा किये जा सकते हैं। महीने में लेन–देन की कोई संख्या निर्धारित नही है।
- यदि एक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम ₹ 1,000 / – जमा ना हो तो खाता अवरूध माना जाएगा व खाते को पुनर्जीवित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में ₹ 50 / – के साथ–साथ खाते में न्यूनतम् ₹ 1000 / – जमा कराना आवश्यक है।
- वर्ष 2018–19 की प्रथम तिमाही हेतु ब्याज की दर 8.1 प्रतिशत है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, तथा ब्याज त्रैमासिक निर्धारित किया जाता है।
- **EEE का फायदा :–**
  क) 80–C के अर्न्तगत ₹ 1,50,000 / – तक जमा पर आयकर में छूट।
  ख) जमा पर अर्जित ब्याज आयकर मुक्त।
  ग) परिपक्वता के समय मिलने वाली धनराशि आयकर मुक्त।
- 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उच्च शिक्षा व विवाह हेतु 50% तक की आंशिक निकासी की सुविधा।
- खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद या विवाह होने के बाद खाता बंद किया जायेगा।
- बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर खाते को समय से पूर्व बन्द किया जा सकता है बशर्ते बालिका की शादी हो चुकी हो।
- यदि परिपक्वता के पश्चात खाता बंद नहीं किया जाता है तब भी खाते में ब्याज दिया जायेगा।
- निर्धारित शर्तों के अनुसार खाता खोलने की तारीख के 5 वर्ष पश्चात सशर्त बंद करने की सुविधा।
- खाते में जमा नकद / ड्राफ्ट अथवा चैक से किया जा सकता है।
- उत्तराखण्ड के सभी डाकघरों में खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर अथवा चीफ पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय उत्तराखण्ड परिमण्डल के दूरभाष संख्या 0135–2653393 पर सम्पर्क करें।